

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 57 / 11

संस्थापन दिनांक-18 / 03 / 11

- 1- तोताराम सिंह पुत्र कलियानसिंह जाति बघेले
निवासी शांति बिहार कॉलोनी हाल इटायदा
थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

---पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण

वि रु द्ध

- 1- मध्य प्रदेश शासन जर्घे पुलिस थाना गोहद

कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0

- 2- पातीराम पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण

निवासी भगतसिंह नगर लश्कर ग्वालियर म0प्र0

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण / अनावेदक

न्यायालय-श्री सुशील कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गौहद
जिला-भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-बी0एफ0 / 11 तोताराम वि0
पुलिस थाना गोहद में पारित आदेश दिनांक 11 / 03 / 11 से उत्पन्न
दाण्डिक पुनरीक्षण

-:- आ दे श -:-

(आज दिनांक 11 नवम्बर 2014 को पारित किया गया)

- 1- उपरोक्त दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षणकर्ता / आपत्तिकर्ता तोताराम की और से न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री सुशील कुमार द्वारा प्रकरण क्रमांक वी0एफ0 / 11 तोताराम वि0 शासन में दिनांक 11 / 3 / 11 को पारित ओदश से व्यथित होकर पेश की गई, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आपत्तिकर्ता / पुनरीक्षणकर्ता कि आवेदक पातीराम द्वारा पेश किये गये सुपुर्दगी आवेदनपत्र पर प्रस्तुत की गई है । आपत्ति द्वारा द्वितीय सुपुर्दगी आवेदनपत्र को निरस्त किया था ।

- 2- पुनरीक्षण याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि, ट्रक क्रमांक एम0पी0-06 जी0ए0-0416 एल0पी0 1633 टाटा का वह स्वामी आधिपत्यधारी है जो ट्रक उसने पूर्व स्वामी गिरीशचंद्र पुत्र कन्हैयालाल कश्यप निवासी महलगांव लश्कर ग्वालियर से दिनांक 18 / 2 / 10 को लिखित विक्रय अनुबंधपत्र द्वारा खरीदा था जिसके लिखतम की नोटरी कराई गई थी, और उसे ट्रक पर आधिपत्य प्राप्त हुआ था, तथा पूर्व स्वामी ने उसे ट्रक सौंप दिया था, उसने

अपने ट्रक पर रामनरेश बरूआ नामक ड्राइवर रखा था और उसने उक्त ट्रक फाईनेन्स कराया था । ट्रक से पातीराम पुत्र बद्रीप्रसाद का कोई संबंध नहीं है तथा पातीराम और उसके लड़के श्यामसुन्दर व राकेश से भी कोई संबंध नहीं है जिसे धोखाधड़ी करके ट्रक के संबंध में दस्तावेज की कूट रचना की है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पातीराम का सुपुर्दगी आवेदन निरस्त करने के साथ ही उसका सुपुर्दगी आवेदन एवं धारा 156 द0प्र0सं0 का आवेदन वैधानिक तरीके से निरस्त कर दिया है, जब कि वह उक्त ट्रक का वैध स्वामी है, और उसके साथ धोखाधड़ी करने और बदनियति से ट्रक हड़पने के लिये पातीराम ने आर0टी0ओ0 मुरैना में दस्तावेज तैयार करवा लिये, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था, और पातीराम के दस्तावेज असत्य है तथा पुलिस गोहद में पातीराम से मिलकर ट्रक को गलत तरीके से थाने पर रखवा लिया, जिसके संबंध में उसने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भी की, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उसके लिखतम अनुबंध एवं ट्रक फाईनेन्स कराने जमा की गई किशतों की रसीदों पर कोई ध्यान ना देकर उसका आवेदनपत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है और धारा 156 द0प्र0सं0 का आवेदन भी निरस्त करने में विधिक भूल की है, इसलिये आलोच्य आदेश दिनांक 11/3/11 को अपास्त किया जाकर ट्रक उसे दिया जाये, और उसके आवेदनपत्र पर से पुलिस गोहद को विवेचना के लिये निर्देशित किया जाये ।

3— उपरोक्त पुनरीक्षण के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:—

- 1— क्या विद्वान जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री सुशील कुमार का आलोच्य आदेश दिनांक 11/3/11 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
- 2— क्या पुनरीक्षणकर्ता का सुपुर्दगी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 451 एवं अनुसंधान के लिये निर्देशन बावत पेश किया धारा 156 द0प्र0सं0 का आवेदनपत्र स्वीकार योग्य है?

::— निष्कर्ष के आधार—::

4— उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दु का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति ना हो इस कारण एक साथ किया जा रहा है ।

5— पुनरीक्षणकर्ता/आपत्तिकर्ता तोताराम के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में पुनरीक्षण याचिका में उठाये गये बिन्दुओं के अनुरूप ही तर्क करते हुये मूलतः इस बात पर बल दिया है कि ट्रक क्रमांक एम0पी0-06जी0ए0-0416 का पुनरीक्षणकर्ता वास्तविक स्वामी है, जिसने मूल स्वामी गिरीशचंद्र कश्यप से क्रय किया था, और उसका अनुबंध भी नोटराईज्ड कराकर प्रमाणित कराया था, तथा ट्रक 14, 35,000/— रुपये में खरीदा था जिसमें से 2, 35, 000/— रुपये उसने अपनी निजी आय से भुगतान की गई थी शेष 12 लाख रुपये फाईनेन्स कराये गये थे, जिसकी किशत उसके द्वारा जमा की गई थी और उनकी रसीदें भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया और केवल इस आधार पर आवेदन को निरस्त कर दिया

कि कोई अपराध में ट्रक जप्त नहीं है, जब कि पुलिस द्वारा दी गई जानकारी में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायत ट्रक के बारे में की गई थी, और उसकी जांच एस0डी0ओ0पी0 द्वारा कराई जा रही थी । ऐसे में वह प्रबल दावेदार था और उसे सुपुर्दगी में ना देकर घोर विधिक त्रुटि की गई है, तथा उनकी ओर से धारा 156 द0प्र0सं0 का आवेदन भी ट्रक के संबंध में पुलिस को कार्यवाही किये जाने बावत निर्देश जारी करने के लिये दिया गया था, उसे भी इसी आधार पर निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है इसलिये आलोच्य आदेश निरस्त किया जाये और उनका आवेदन स्वीकार किया जाये, जिसका ए0पी0पी0 द्वारा विरोध किया गया जब कोई अपराध ही दर्ज नहीं हुआ है तो जिन प्रावधानों के तहत पुनरीक्षणकर्ता ने आवेदन पेश किये थे वे ग्राह्य योग्य ही नहीं थे । इसलिये आदेश उचित है और पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाये ।

6— अभिलेख पर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 12/3/11 की सत्य प्रतिलिपि एवं पुनरीक्षण कर्ता के लिखतम विक्रय अनुबंधपत्र दिनांक 18/2/10 की छायाप्रति उपलब्ध है, जिसके आधार पर निराकरण करना होगा । विद्वान जे0एम0एफ0सी0 गोहद अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय में पातीराम की ओर से ट्रक सुपुर्दगी में लिये जाने का आवेदनपत्र पेश किया गया था जिसमें पुनरीक्षणकर्ता तोताराम की ओर से आपत्ति पेश की गई थी, और उसकी ओर से भी सुपुर्दगी का आवेदन दूसरी बार पेश किया गया था, जिसके साथ सूची अनुसार 16 दस्तावेज पेश किये जाने का उल्लेख है । अधीनस्थ न्यायालय ने आरक्षी केन्द्र गोहद से जानकारी तलब की थी, जिसमें ट्रक क्रमांक एम0पी0-06 जी0ए0-0416 के संबंध में यह जानकारी प्रस्तुत की गई थी कि कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है, और पातीराम का आवेदन निरस्त किया गया था तथा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से द्वितीय आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 451 द0प्र0सं0 के पेश किये जाने का उल्लेख है, जिसके बारे में अधीनस्थ न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि आपत्तिकर्ता तोताराम ट्रक गिरीशचंद्र कश्यप से खरीदना बताता है, और थाने पर सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाना बताया गया । उक्त ट्रक किसी अपराध में जप्त ही नहीं हुआ था, इसलिये सुपुर्दगी आवेदन निरस्त किये गये और इसी आधार पर धारा 156 द0प्र0सं0 के आवेदन भी निरस्त किये गये हैं ।

7— धारा 451 द0प्र0सं0 1973 के प्रावधान उस अवस्था में लागू होता है जब विचारण लंबित रहने के दौरान संपत्ति की अभिरक्षा और उसके व्ययन के संबंध में अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है अर्थात् दाण्डिक मामला विचाराधीन रहने के दौरान संबंधित मामलों में जप्त संपत्ति के व्ययन के बावत उक्त प्रावधान है, जब कि निर्विवादित रूप से कोई अपराध तक दर्ज होना नहीं पाया गया है । ऐसे में धारा 457 द0प्र0सं0 के प्रावधान भी लागू नहीं होंगे, क्योंकि संपत्ति का कोई पुलिस द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया था । ऐसे में सुपुर्दगी की प्रार्थना विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं थी, और उसके संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश पुष्टि योग्य है । अतः उसके संबंध में पुनरीक्षण याचिका स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती क्योंकि जहां किसी स्वत्व का बिन्दु उत्पन्न हो तो उसके लिये सिविल कार्यवाही की जा सकती है ।

8— जहां तक धारा 156 द0प्र0सं0 के आवेदन निरस्तगी का प्रश्न है जहां भी अपराध दर्ज ना होना और ट्रक किसी अपराध में दर्ज ना होने के आधार पर निरस्त किया गया है यदि कोई अपराध प्रकट होता है और पुलिस द्वारा उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो उसके संबंध में प्रथक से कार्यवाही परिवाद के रूप में या धारा 156 (3) के प्रावधान आकर्षित होने पर उसके तहत की जा सकती है जिन परिस्थितियों में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन निरस्त किया वे उल्लेखित तथ्यों की प्रबलता को देखते हुये कतई अवैध अनुचित या औचित्यहीन नहीं माने जा सकते इसलिये पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चाही गई सहायता पुनरीक्षणकर्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । फलतः पुनरीक्षण याचिका वाद विचार सारहीन पाते हुये निरस्त की जाती है ।

9— आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0 आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0 आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड